

आदेश

भोपाल, दिनांक **2 17 M**AY 2022

क्रमांक एफ 3-08/2021/तेरह/04 :- राज्य शासन ने एतदद्वारा निर्णय लिया है कि म.प्र. विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 31.03.2022 द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये निर्धारित दरों में प्रदेश के घरेलू उपभोक्ताओं के लिए गृह ज्योति योजना में स्वीकृत सब्सिडी के अतिरिक्त निम्नानुसार उल्लेखित उपभोक्ता श्रेणियों को सब्सिडी देते हुए इसके एवज में विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी दी जावे:-

क्र.	उपभोक्ता श्रेणी	नियामक आयोग द्वारा	सब्सिडी	सब्सिडी के उपरांत		
		निर्धारित दर	(रू. प्रति यूनिट एवं अन्य प्रभार)	प्रभावी दर		
		(रू. प्रति यूनिट एवं अन्य प्रभार)		(रू. प्रति यूनिट)		
1	. 2	3	4	5		
1	निम्नदाब कृषि उपभोक्ताओं हेतु सन्सिडी (एफ.सी.ए. सहित)					
(ক)	(i) 10 हार्सपावर तक की क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लैट दर पर 750 रूपये प्रति					
	हार्सपावर प्रतिवर्ष लिये जाने के एवज में सब्सिडी (ii) 10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटर रहित स्थायी कृषि उपभोक्ताओं से फ्लैट दर पर 1500 रूपरे प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष लिए जाने के एवज में सब्सिडी					
(ব্ৰ)	10 हार्सपॉवर तक की क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप					
	(i) प्रथम 300 यूनिट	4.79 + एफ.सी.ए +	3.80 + एफ.सी.ए +	0.99		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		58/- प्रति हार्सपावर	58/- प्रति हार्सपावर			
	(ii) 301 से 500 यूनिट	5.82 + एफ.सी.ए +	4.65 + एफ.सी.ए +	1.17		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		74/- प्रति हार्सपावर	74/- प्रति हार्सपावर			
	(iii) 501 से 750 यूनिट	5.82 + एफ.सी.ए +	4.58 + एफ.सी.ए +	1.24		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		74/- प्रति हार्सपावर	74/- प्रति हार्सपावर			
	(iv) 750 यूनिट प्रतिमाह	6.10 + एफ.सी.ए +	4.85 + एंफ.सी.ए +	1.25		
	से अधिक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		81/- प्रति हार्सपावर	81/- प्रति हार्सपावर			
(ग)	10 हार्सपावर से अधिक क्षमता वाले मीटरयुक्त स्थायी कृषि पंप					
	(i) प्रथम 300 यूनिट	4.79 + एफ.सी.ए +	2.70 + एफ.सी.ए +	2.09		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	The second secon		
		58/- प्रति हार्सपावर	58/- प्रति हार्सपावर	under recent of the control of the c		
				Bert ARN e picts		

	(II) 301 से 500 यूनिट	5.82 + एफ.सी.ए +	3.25 + एफ.सी.ए +	2.57		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		74/- प्रति हार्सपावर	74/- प्रति हार्सपावर			
	(111) 501 से 750 यूनिट	5.82 + एफ.सी.ए +	3.10 + एफ.सी.ए +	2.72		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक			
		74/- प्रति हार्सपावर	चार्ज रू. 74/-			
	(iv) 750 यूनिट प्रतिमाह	6.10 + एफ.सी.ए +	3.45 + एफ.सी.ए +	2.65		
	से अधिक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		81/- प्रति हार्सपावर	81/- प्रति हार्सपावर			
(ঘ)	अस्थायी कृषि पंप संयोजन (मीटरयुक्त एवं मीटर रहित)					
	(i) 10 हार्सपावर तक की	6.10 + एफ.सी.ए +	3.93 + एफ.सी.ए +	2.17		
	क्षमता हेत्	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		81/- प्रति हार्सपावर	81/- प्रति हार्सपावर			
	(II) 10 हार्सपावर से अधिक	6.10 + एफ.सी.ए +	1.75 + एफ.सी.ए +	4.35		
	क्षमता हेतु	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		81/- प्रति हार्सपावर	81/- प्रति हार्सपावर			
(३)	डीटीआर मीटर द्वारा	4.59 + एफ.सी.ए.	1.95 + एफ.सी.ए.	2.64		
	विद्युत प्रदाय (वर्तमान में					
	कोई उपभोक्ता नहीं)					
(च)	1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्सपावर तक के अनुस्चित जाति एवं अनुस्चित जनजाति के स्थायी कृ					
	पंप उपभोक्ताओं को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय (मीटरयुक्त एवं मीटर रहित)					
	(i) प्रथम 300 यूनिट	4.79 + एफ.सी.ए +	4.79 + एफ.सी.ए +	0		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		58/- प्रति हार्सपावर	58/- प्रति हार्सपावर			
	(ii) 301 से 750 यूनिट	5.82 + एफ.सी.ए +	5.82 + एफ.सी.ए +	0		
	प्रतिमाह तक की खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		74/- प्रति हार्सपावर	74/- प्रति हार्सपावर			
	(iii) 750 यूनिट प्रतिमाह से	6.10 + एफ.सी.ए +	6.10 + एफ.सी.ए +	0		
	अधिक खपत पर	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.	फिक्स्ड मासिक चार्ज रू.			
		81/- प्रति हार्सपावर	81/- प्रति हार्सपावर			
2.	उच्चदाब उद्वहन/समूह सिंचाई	चदाब उद्वहन/समूह सिंचाई उपभोक्ताओं को वार्षिक न्यूनतम प्रभार से छूट तथा ऊर्जा प्रभार में 190 पैसे				
	प्रति यूनिट की छूट देने हेतु सब्सिडी.					
	प्रात यानट का छूट दन हतु ४	11 4 (131.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

> (संजय दुवे) प्रमुख सचिव म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग

प्रतिलिपि:-

- 1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नर्मदा घाटी विकास विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 2. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 3. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल।
- 4. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।
- 5. प्रबंध संचालक, एम.पी. पावर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर।
- 6. प्रबंध संचालक, म.प्र. पूर्व / मध्य / पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, जबलपुर / भोपाल / इंदौर निर्देशानुसार कृपया राज्य शासन के आदेश का पालन सुनिश्चित करने तथा विद्युत देयकों में राज्य शासन द्वारा दी जा रही सब्सिडी की राशि का अनिवार्यत: उल्लेख करने हेतु अनुरोध है।
- 7. उप सचिव, मुख्य सचिव कार्यालय, म.प्र. शासन, मंत्रालय भोपाल।

8. आयोग सचिव, म.प्र. विद्युत नियामक आयोग, भोपाल।

प्रमुख सिचिव म.प्र.शासन, ऊर्जा विभाग